

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(2)(126)पीएस/निकाशि/18/1458

दिनांक 12/3/18

- 1- संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।
- 3- सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर

विषय:- वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त व्याख्याता/पुस्तकालयाध्यक्ष/पी.टी.आई. जिन्हें पूर्व में कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत वांछित रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण नहीं होने पर वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देय तिथि के स्थान पर रिफ्रेशर कोर्स करने की तिथि पर स्वीकृत किया गया, का विवरण भिजवाने बाबत ।

सन्दर्भ:- यूजीसी नोटिफिकेशन दिनांक 18.7.18, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.1(6)शिक्षा-4/2010 पार्ट । दिनांक 28.9.18 एवं यूजीसी का पब्लिक नोटिस दिनांक 16.10.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्ष/पी.टी.आई. को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के लिए नियमानुसार निर्धारित ओरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स करने होते हैं। रिफ्रेशर कोर्स करने की अवधि में समय समय पर यूजीसी द्वारा एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती रही है।

पूर्व में यूजीसी के पत्र दिनांक 7.12.2002 द्वारा ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स करने की अवधि में दिनांक 31.12.2013 तक अभिवृद्धि (Extended) की गई थी जिसके सम्बन्ध में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 27.12.2012 जारी किया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नोटिफिकेशन दिनांक 18.7.18 एवं पब्लिक नोटिस दिनांक 16.10.18 द्वारा ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स करने की अवधि में दिनांक 31.12.18 तक छूट प्रदान की है। इस संबंध में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 28.9.18 जारी किया है।

दिनांक 31.12.2013 के पश्चात् छूट 31.12.2018 तक बढ़ाने पर पूर्व में जिन व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्षों/पी.टी.आई. को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान रिफ्रेशर कोर्स विलम्ब से करने के कारण देय तिथि के स्थान पर ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स करने की तिथि से स्वीकृत किया गया था उन सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार चाही गई सूचना दिनांक 31.03.2019 तक आवश्यक रूप से आयुक्तालय अग्रेषित करावें :-

- 1- ऐसे सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों से संलग्न प्रपत्र "A" अनुसार आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रपत्र "B" अनुसार संतान संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर आयुक्तालय अग्रेषित करावें ।
- 2- ऐसे सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र "C" अनुसार सूचना आयुक्तालय प्रेषित करावें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रभारी, वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

महाविद्यालय का नाम:-

1	नाम	
2	जन्म तिथि	
3	विषय	
4	नियमित रूप से चयन उपरान्त कार्यग्रहण तिथि	
5	पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने की तिथि	
6	एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने की तिथि	
7	ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स करने की अवधि	ओरियेन्टेशन कोर्स से रिफ्रेशर कोर्स से रिफ्रेशर कोर्स से रिफ्रेशर कोर्स से
8	विलम्ब से रिफ्रेशर कोर्स करने पर देय तिथि के स्थान पर रिफ्रेशर कोर्स करने की तिथि से पूर्व में स्वीकृत वरिष्ठ वेतनमान/चयनित वेतनमान का विवरण ("A" व "B" में से जो लागू हो उसी को भरें)	<p>A- नियमित रूप से चयनोपरान्त देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का विवरण</p> <p>(1) वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि (विभागीय आदेश क्रमांक दिनांक.....)</p> <p>(2) चयनित वेतनमान देय तिथि विभाग द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृति तिथि (विभागीय आदेश क्रमांक दिनांक.....)</p> <p>B- माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में पूर्व सेवा को सम्मिलित कर देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का विवरण</p> <p>(1) वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि (विभागीय आदेश क्रमांक दिनांक.....)</p> <p>(2) चयनित वेतनमान देय तिथि विभाग द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृति तिथि (विभागीय आदेश क्रमांक दिनांक.....)</p> <p>(आदेश की प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें)</p>
9	अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना जो आवश्यक हो-	
10	असाधारण अवकाश (Without Medical Ground)	
11	विभागीय दण्ड संबंधी सूचना	
12	मोबाईल नम्बर	

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पद:-

तिथि:-

महाविद्यालय का नाम:-

महाविद्यालय रिकार्ड से सत्यापित किया गया

(प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मुहर)

"B"

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7 (1)(डी.ओ.पी.)क-2/95 दिनांक
20.6.2001 के क्रम में अधिकारी द्वारा दी जाने वाली घोषणा

मैं पद
कार्यालय दिनांक
..... को एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या थी ।

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		

2. दिनांक 01 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है ।

या

दिनांक 01 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की कुल संख्या है ।

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1		
2		
3		
4		
5		

हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम:

पद:

विभाग:

नोट:- जो लागू नहीं हो, वह काट दें ।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये ।

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक के)

"C"

- 1- वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्ष/पी.टी.आई. की सूची जिन्हें पूर्व में नियमित रूप से चयन उपरान्त कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत वांछित रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण नहीं होने पर वरिष्ठ/चयनित वेतनमान देय तिथि के स्थान पर रिफ्रेशर कोर्स करने की तिथि पर स्वीकृत किया गया :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	विषय	एम.फिल.	पीएच.डी.	वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि	विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि	चयनित वेतनमान देय तिथि	विभाग द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृति तिथि	देय तिथि पर वरिष्ठ/चयनित वेतनमान स्वीकृत करने पर दिनांक 28.02.2019 तक अनुमानित वित्तीय भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 2- वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त व्याख्याताओं/पुस्तकालयाध्यक्ष/पी.टी.आई. की सूची जिन्हें माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में पूर्व सेवा को सम्मिलित कर कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत वांछित रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण नहीं होने पर वरिष्ठ/चयनित वेतनमान देय तिथि के स्थान पर रिफ्रेशर कोर्स करने की तिथि पर स्वीकृत किया गया:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	विषय	एम.फिल.	पीएच.डी.	वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि	विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि	चयनित वेतनमान देय तिथि	विभाग द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृति तिथि	देय तिथि पर वरिष्ठ/चयनित वेतनमान स्वीकृत करने पर दिनांक 28.02.2019 तक अनुमानित वित्तीय भार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर प्राचार्य मय मुहर